

जोर आजमाइश का हुआ खेल –खिलाड़ी इतने मजबूत थे कि रस्सी कमजोर पड़ गई आनन्द उत्सव के तहत हनुमान ताल पर हुआ खेल व गायन प्रतियोगिता का आयोजन निगम आयुक्त श्री झारिया ने स्वच्छता में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का किया आह्वान

रतलाम 23 जनवरी । लोगों के मानसिक तनाव को कम करने के उद्देश्य से मप्र राज्य आनंद संस्थान द्वारा आनंद उत्सव तहत आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों के तहत हनुमान ताल पर 40 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए विभिन्न पारंपरिक खेल मटका फोड़, पकड़म-पाटी, रस्सा खेंच व भजन-गीत गायन आदि प्रतियोगिता में बढ़चढ़कर हिस्सा लेते हुए खुब आनन्द उठाया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने रस्सा खेंच प्रतियोगिता की शुरुआत कर जोर आजमाइश का आनंद लिया। महिलाओं की रस्सा खेंच प्रतियोगिता बहुत मजेदार रही। पुरुषों की रस्सा खेंच में बड़ी जोरदार टक्कर रही ,देर तक रस्सा खींचा रहने से रस्सा ही टूट गया। मटका फोड़ प्रतियोगिता में 20 प्रतिभागियों ने अपना कौशल आजमाया,लेकिन सफलता मिली कमल सिंह राठौर को। मटका फोड़ की आवाज पूरे हनुमान ताल पर गूंज उठी।

इस अवसर पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में रतलाम को नम्बर-1 तभी बनाया जा सकता है जब नगर के सभी नागरिकों की सहभागिता हो इस हेतु उन्होंने आह्वान किया कि कम से कम कचरा उत्सर्जित करें, घरों-दुकानों-प्रतिष्ठानों से निकलने वाला कचरा निगम के कचरा संग्रहण वाहन में ही डाले, गीले कचरे से घरों में मटका या बाल्टी से जैविक खाद बनायें, सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग ना करें।

उन्होंने कहा कि स्वच्छता के साथ पर्यावरण सुधार में भी आम नागरिकों की सहभागिता आवश्यक है इस हेतु अपने-अपने क्षेत्रों के उद्यानों में औषधीय पौधों का रोपण 15 फरवरी के पूर्व करें पौधों की उपलब्धता नगर निगम द्वारा करवाई जायेगी।

पुरुषों व महिलाओं ने पकड़म पकड़ाई, चैन रेस जैसे खेल से अपने बचपन की यादें ताजा की। खेल का उत्साह इतना था कि रतन हंसराजानी ने दोनों पैरों में रॉड होने पर भी खेल का आनंद लिया। समस्त खेल प्रतियोगिताओं में निर्णायक राशिद खान, डॉ अनामिका सारस्वत व परवेश परमार रहे।

खेल प्रतियोगिता में उत्साह वर्धन के लिए मप्र जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीय ,स्वास्थ्य अधिकारी श्री जी.के. जायसवाल, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह ,भी उपस्थित थे। पर्यावरण विद खुशहाल सिंह पुरोहित ने कहा कि भागदौड़ की जिदगी में आनंद के क्षण प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। उन्होंने मप्र सरकार ,नगर निगम व मप्र राज्य आनंद संस्थान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आनंद बांटना कोई सरकार का काम नहीं है,लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आनंद उत्सव आयोजित कर सभी लोग जो शारीरिक रूप से क्षीण हैं, उनमें उत्साह का संचार किया है।

आनंदक प्रतिभा सिन्हा, सुषमा अग्निहोत्री, आशा पूरी ,धर्मा कोठारी ,राजेन्द्र चतुर्वेदी ,सुरेन्द्र अग्निहोत्री,पुष्पेंद्र सिंह सिसौदिया,विशाल वर्मा ने सभी प्रतियोगिता करवाने में सहयोग किया।आनंदम सहयोगी गिरीश सारस्वत ने इस आयोजन में नगर निगम के सहयोग ,व्यवस्था का आभार व्यक्त किया। आनंदम सहयोगी सीमा अग्निहोत्री ने बताया कि 26 जनवरी को हनुमान ताल पर 11 बजे से स्वच्छता व प्लास्टिक मुक्त रतलाम हेतु रंगोली प्रतियोगिता रखी

गई है। इस रंगोली प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं, लेकिन रंगोली के रंग अपने घर से ही लाने होंगे।

प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे :- मटकी फोड़-प्रथम कमल सिंह राठौर, द्वितीय आरती त्रिवेदी, तृतीय आशा तिवारी, चैन रेस(महिला)- प्रथम सुनीता खन्ना, द्वितीय सुमित्रा हँसराजानी, तृतीय राधा सांखला, चैन रेस(पुरुष)' प्रथम ईश्वर सिंह राठौर, द्वितीय कमल सिंह राठौर, तृतीय रतन हँसराजानी, रस्सा खेंच विजेता टीम(महिला)-प्रभा बक्शी, राजश्री गोधा ,आरती त्रिवेदी, राधा सांखला , रस्सा खेंच विजेता टीम (पुरुष)- ईश्वर सिंह राठौर, दिनेश शेटी, अरुण तिवारी,रामचंद्र पाठक,संदीप नारले, बंसीलाल मजावदीया,ललित खन्ना, नरेंद्र त्रिवेदी, गायन-प्रथम अणिमा आचार्य, द्वितीय ईश्वर सिंह राठौर व तृतीय पवन मकवाना रहे।

गंदगी करने पर 3 दुकानें 24 घन्टे के लिये सील मास्क नहीं लगाने पर 12 व्यक्तियों पर जुर्माना नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायें

गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 21 जनवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 23 जनवरी को 3 दुकानदारों द्वारा गंदगी करने पर 24 घन्टे लिये दुकानें सील कर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी करने पर विश्वमंगल दूध डेरी राम मंदिर पर 2000, राठौर रेस्टोरेंट नाहरपुरा पर 1000 व महालक्ष्मी रेस्टोरेंट शहर सराय पर 500 रुपये का जुर्माना कर 24 घन्टे के लिए दुकाने सील की गई। इसके अलावा एक पिक अप वाहन द्वारा खुले में सब्जी फेंकने पर वाहन को जब्त किया गया।

इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 12 व्यक्तियों पर 100-100 रुपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईश दी गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931, श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932, श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

बोहरा बाखल में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार्ड बकाया वसूली शिविरों का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 49.3 लाख व जलकर 10.94 लाख की बकाया राशि जमा कराई

रतलाम 23 जनवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेंगे।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 3,28,822/- व जलकर 54,850/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,62,575/- व जलकर 34,520/-, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 3,02,013/- व जलकर 63,450/-, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,85,292/- व जलकर 1,19,720/-, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 3,20,857/- व जलकर 62,950/-, तिरुपति नगर शिविर में संपत्तिकर 1,28,977/- व जलकर 28,870/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,16,000/- व जलकर 14,000/-, इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास शिविर में संपत्तिकर 2,51,600/- व जलकर 1,04,640/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 8,61,206/- व जलकर 1,21,090/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 2,14,000/- व जलकर 47,000/-, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 2,54,422/- व जलकर 83,700/-, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 1,71,500/- व जलकर 27,540/-, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,96,281/- व जलकर 40,240/-, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,45,000/- व जलकर 31,760/-, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 3,36,077/- व जलकर 72,440/-, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 98,534/- व जलकर 37,465/-, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 87,732/- व जलकर 36,660/-, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,91,455/- व जलकर 92,125/- की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरों के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 22, 24 व 25 जनवरी को बोहरा बाखल, वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 27 जनवरी को रामगढ़, वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 28, 29 व 31 जनवरी को लक्कड़पीठा प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 1 से 3 फरवरी तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 4 से 5 फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिज, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिये 7 से 8 फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25, 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

श्वान पालकों को अपने श्वान कराना होगा रजिस्ट्रेशन

2 से अधिक श्वान का पालन नहीं कर सकेंगे

रतलाम 23 जनवरी । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपन घरों में श्वान पालते हैं उन्हें अब अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रुपये 1000/— एवं लायसेंस शुल्क रुपये 500/— प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/— रुपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम् 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

8168 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 23 जनवरी । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 23 जनवरी रविवार तक 8168 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 79.39 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

23 जनवरी को 61 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 23 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 23 जनवरी रविवार को 61 टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

23 जनवरी रविवार को डम्पर से 14005, ट्रेक्टर से 12070, काम्पेक्टर सूखा कचरा 17430 व काम्पेक्टर गीला कचरा 17425 इस तरह कुल 61030 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

2905 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 92 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 23 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हें प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के ज्ञोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2558 हितग्राहियों को राशि रुपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 190 हितग्राहियों को राशि रुपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 92 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही 15 हजार रुपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 23 जनवरी । शहर की मुख्य सड़कों के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हें तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलों के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलों को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 23 जनवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 23 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्राइवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्राइवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 23 जनवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/23.01.2022/न.पा.निगम, रतलाम.

